तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./7180/2006/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम जयकिशन (मृतक)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-11-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित–** श्री लोकेन्द्र सिंह, राजकीय उप अधिवक्ता श्री ओ0एल0 दवे, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **निर्णय** हस्तगत रेफरेन्स धारा 88(2), राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 251/2005 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 28-07-2006 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, मलारना डूँगर, जिला सवाईमाधोपुर ने धारा 88 (2), राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम दहलोद, तहसील मलारना डूँगर, जिला सवाईमाधोपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 3 बीघा किस्म गै0मु0 तालाब/तलाई/नदी/नाला बन्दोबस्त सम्वत् 2015 से 2018 की जमाबंदी में अंकित रही है और अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित कर नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 4-2-1966 से गैर खातेदारी स्वीकार की गई है तथा नामांतरकरण संख्या 97 दिनांक 4-11-1977 से खातेदारी स्वीकार की गई है। आवंटी/अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के द्वारा विक्रय के आधार पर अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 13 के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 24-6-1987 स्वीकार किया गया है। उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 2-8-2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 28-07-2006 से रेफरेन्स प्रार्थना स्वीकार किया और गैर खातेदारी का नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 4-2-1966, खातेदारी का नामांतरकरण संख्या 97 दिनांक 09-07-1978, विक्रय का नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 24-6-1987 बाबत् आराजी खसरा नम्बर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./7180/2006/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम जयकिशन (मृतक)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	34 रकबा 3 बीघा किस्म गै0मु0 तलाई स्थित ग्राम दहलोद, तहसील मलारना डूँगर, जिला सवाईमाधोपुर बहक अप्रार्थी निरस्त करने की राय के साथ हस्तगत रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है। उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय उप अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म गै0मु0 तलाई की भूमि रही है और धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः विद्वान अतिरिक्त कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अभिशंषित रेफरेन्स प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है जिसे स्वीकार किया जाये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि मौके पर काबिल काश्त भूमि होने से इसका आवंटन आवंटी के पक्ष में किया गया है। अप्रार्थीगण के पिता स्व0 भागोता द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र से आराजी को क्रय किया गया है और मौके पर अप्रार्थीगण का आराजी पर कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि कभी भी गै0मु0 तलाई या जल प्रयोजन की भूमि नहीं होने से इस प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के तथ्य लागू नहीं होते हैं, रेफरेन्स खारिज किया जाए। हमने बहस पर मनन किया एवं विद्वान अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही का अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुताबिक नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 4-2-1966 से आवंटन के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 3 बीघा किस्म **गै0मु0 तलाई** जैकिसन पुत्र नारायण के पक्ष में गैर खातेदारी स्वीकार की गई है तथा नामांतरकरण संख्या 97 दिनांक 4-11-1977 से खातेदारी स्वीकार की गई है। नामांतरकरण संख्या 171 विक्रय के आधार पर भागोता पुत्र उँकार व जयलाल पुत्र किशन लाल के पक्ष में स्वीकार किया गया है। जमाबंदी सम्वत् 2052-55 में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./7180/2006/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम जयकिशन (मृतक)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खसरा नम्बर 34 रकबा 3 बीघा नहरी–1 भागोता पुत्र उॅकार व जयलाल पुत्र किशन लाल के पक्ष में खातेदारी में अंकित है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन नदी–नाला, तालाब, पोखर आदि'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
> (ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 तलाई की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

> ***All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.***

उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में विद्वान अति0 कलक्टर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./7180/2006/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम जयकिशन (मृतक)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप विद्वान अतिरिक्त कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 28-07-2006 से अभिशंषित रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है और गैर खातेदारी का नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 4-2-1966, खातेदारी का नामांतरकरण संख्या 97 दिनांक 09-07-1978, विक्रय का नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 24-6-1987 बाबत् आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 3 बीघा किस्म गै0मु0 तलाई स्थित **ग्राम दहलोद, तहसील मलारना डूँगर, जिला सवाईमाधोपुर** को निरस्त करने और अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी को कलमजन करने व भूमि को वापिस उसके मूल स्वरुप **"Original shape & use"** किस्म **"गै0मु0 तलाई"** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	